

आयची सं० 1516 / मु०अ० (सू०प्र०स०)
दिनांक 13/12/18

6344
14/12/18

आवंटन संख्या- 95 / 2018-19

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (यमुना)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, ओखला, नई दिल्ली-25

पत्रांक:-10438 / मु.अ.य. / बी-1 / 4700 / 18-19,

दिनांक: ओखला: 11. 2018

—: कार्यालय ज्ञाप :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-94, लेखाशीर्षक-4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत शासनादेश सं०-72/1366/18-27-सि-3-115रिया/17 दिनांक 15.11.2018 द्वारा रिट याचिका-44342/2017 पीयूष सारस्वत बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.09.2017 के अनुपालन में याची के अवशेष बिलों की धनराशि हेतु रु० 18,02,143/- की वित्तीय स्वीकृति के क्रम में प्रमुख अभियन्ता (आय-व्ययक अनुभाग) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या-जी-629/आई०बी०/22ए-108बी/अनु०-94/पूजीलेखा/आवन्तन/भारित/2018-19 दिनांक 29.11.2018 (प्राधिकृत संख्या- 552/2018-19) द्वारा निम्नांकित लेखाशीर्षक/उपशीर्षक/मद में व्यय किये जाने हेतु प्राधिकृत की गई है, जिसमें से निम्नानुसार सम्बन्धित खण्ड लोअर खण्ड आगरा नहर, आगरा को एतद्द्वारा प्रदिष्टि की जाती है:-

लेखाशीर्षक/उपशीर्षक/मद	ट्रेजरी कोड	खण्ड का नाम	प्रदिष्टि धनराशि (धनराशि रूपये में)
अनु० सं०-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 33-सिंचाई विभाग की विभिन्न नहर/बांध परियोजनाओं के अनुबन्ध के अन्तर्गत देय डिजिटल धनराशियों का भुगतान 051-निर्माण 10-नहरें 1014-सम्बद्ध कार्य 24-वृहत निर्माण कार्य(भारित)	2012	लोअर खण्ड आगरा नहर, आगरा	18,02,143.00
योग:-			18,02,143.00

(रु० अठारह लाख दो हजार एक सौ तैतालीस मात्र)

उपरोक्त धनराशि का आवंटन समय-समय पर जारी वित्तीय नियमों/शासनादेशों तथा उक्त शासनादेश दिनांक 15.11.2018 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाता है।

स
(अनिल कुमार)
मुख्य अभियन्ता (यमुना)

पत्रांक:- 10438 / मुअय / बी-1 / 4700 / 18-19 / तदिनांक 30-11-18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-1/2) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1/2) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. प्रमुख अभियन्ता, (अनुश्रवण/अग्रिम नियोजन/सूचना प्रणाली संगठन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (पश्चिम) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, मेरठ।
6. मुख्य अभियन्ता (बजट) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. अधीक्षण अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल-6, सिंचाई भवन एनेक्सी, लखनऊ।
9. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय मण्डल सिंचाई कार्य, आगरा।
10. अधिशासी अभियन्ता, लोअर खण्ड आगरा नहर, आगरा।

30.11.2018
(अनिल कुमार)
मुख्य अभियन्ता (यमुना)

Handwritten signatures and dates: 13/12/18, 13/12/18, 13/12/18